सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-587 राँची, मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2021

विषयः उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में।

संख्या-01/ह०रे०ह० नि०/नियमावली-66/2021-1161--"भारत की संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड, राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अन्तर्गत गठित झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

   i. यह नियमावली झारखण्ड राज्य रेशम (संशोधित) नियमावली, 2021 कहलाएगी ।

   ii. इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   iii. यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (क) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

(i). शैक्षणिक योग्यता-(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰एस॰सी॰ सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/वीभिंग/ डाईंग-प्रिटिंग) की डिग्री अथवा

(ख) बी॰एस॰सी॰, रेशम/कृषि/ वानिकी/ वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव हैः-

i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-(क) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰एस॰सी॰ सिल्क टेक (चार वर्षीय डिग्री कोर्स) (सेरीकल्चर/वीभिंग/डाईंग-प्रिटिंग) की डिग्री अथवा

(ख) बी॰एस॰सी॰, रेशम/कृषि/ वानिकी/ वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान के साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी/नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

3. झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (ख) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान हैः-

(i) शैक्षणिक योग्यता-मैट्रिकुलेशन एवं झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन (सेरिकल्चर/सिल्क विभिंग/सिल्क डाईंग-प्रिटिंग) उत्तींण अथवा दो वर्षीय (10+2) इन्टर व्यावसायिक कोर्स (सेरिकल्चर/टेक्सटाइल्स उतीर्ण)

- ब्यॉलर अटेण्डेंट -शैक्षणिक योग्यता- मैट्रिक के साथ आई०टी०आई० (फीटर) ट्रेड में उतीर्ण ।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव हैः-

i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन (सेरिकल्चर/सिल्क विभिंग/सिल्क डाईंग-प्रिटिंग) उत्तींण अथवा दो वर्षीय (10+2) इन्टर व्यावसायिक कोर्स (सेरिकल्चर/टेक्सटाइल्स) उतीर्ण होना तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

- ब्यॉलर अटेण्डेंट - शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा के साथ आई॰टी॰आई॰ (फीटर) ट्रेड में उत्तीर्ण तथा अभ्यार्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

4. झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 (अधिसूचना सं0-1735 दिनांक 11.09.2013) के अन्य प्रावधान हू-ब-हू लागू रहेंगे एवं इस नियमावली के प्रावधान उक्त नियमावली के साथ संशोधित रूप में अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1118 दिनांक-12.11.2021 द्वारा झारखण्ड राज्य रेशम (संशोधित) नियमावली, 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.11.2021 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-35 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 587 -- 50